न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 55/2020

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
हरीराम पुत्र उकाराम जाति मेघवाल निवासी शास्त्रीगर गडरारोड़, जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.02.2020 जो विभागीय प्रकरण सं. 186/2019 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भवानीसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 186/2019 सरकार बनाम हरीराम मे पारित निर्णय दिनांक 05.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट हरीराम/उकाराम, उचित मूल्य दुकानदार शास्त्रीगांव, तहसील गडरारोड़ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा दिनांक ...7 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, केरोसीन व चीनी उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गंभीर अनियमितताओं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्त सरकार किये जाने का आदेश दिनांक 07.02.2018 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील संख्या 41/2018 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर सुनवाई उपरान्त अपील स्वीकार की जाकर उक्त आदेश दिनांक 07.02.2018 निरस्त किया गया तथा प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः नये सिरे से निस्तारण करें। इस आदेश की अनुपालना में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर सुनवाई उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2020 के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन होना मानते हुये निरस्त किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा पुनः यह अपील हमारे समक्ष दिनांक 21.10.2020 को प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। [illegible] के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा [illegible] नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार के बतौर उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया गया है जिसका स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर इत्यादि पूर्ण है, वितरण का कार्य

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:32 IST
Reason: SelfAttested

Lon
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पोश मशीन द्वारा किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय जांच कर बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनन गलत होने से अपीलार्थी की अपील पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवश्यक जांच एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें। इस आदेश की पालना में रेस्पोडेंट द्वारा केवल मात्र कागजी खानापूर्ति कर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया है। रेस्पोडेंट द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर रिपोर्ट मांगी गई जिस पर जांच दल द्वारा द्वेषपूर्ण, मनगढत तरीके से जांच करते हुये रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को पेश की गई। जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच दल की एकपक्षीय रिपोर्ट व तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा की गई जांच को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2020 द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि शिकायतकर्ता के अलावा अन्य राशनकार्डधारी अपीलांट की सेवा से संतुष्ट हैं तथा उचित मूल्य की वस्तुओं के वितरण में धांधली के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी ने पोश मशीन पर राशन सामग्री अंगुष्ठ निशान लगाकर उठाने एवं पोश मशीन में प्रविष्ठि रेकर्ड पर उपलब्ध होने के बावजूद दस्तावेजी साक्ष्य के बिना पूर्व की जांच रिपोर्ट को आधार मानकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने एवं आमजन की सहूलियत के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम पोश मशीन का उपयोग शुरू किया गया है जिसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा अंगुष्ठ निशान लगाने पर ही सामग्री दी जाती है। उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं की पोश मशीन में अंगुष्ठ निशान की प्रविष्ठियां जिला रसद अधिकारी को मुद्रित प्रति प्रस्तुत करने के बावजूद उसकी विवेचना किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

बिना विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमावें एवं अपीलांट के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान से समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, केरोसीन व चीनी उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 11, 14 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था। इसके विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील पर पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 की अनुपालना में पुनः जांच करवाकर समुचित रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हरीराम/उकाराम, उचित मूल्य दुकानदार शास्त्रीगांव, तहसील गडरारोड़ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा दिनांक 27.12.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, केरोसीन व चीनी उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किए जाने पर उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:32 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 30.07.2019 के द्वारा स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निस्तारण करें। इस पर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि उचित मूल्य दुकान शास्त्री गांव पर पोश मशीन द्वारा वितरण किया गया था जिसकी दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत है। शिकायतकर्ताओं द्वारा राजनीतिक रंजीशवश शिकायत की गई है जबकि उन्हें सम्पूर्ण राशन सामग्री उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः राजनीतिक रंजिशवश झूठी शिकायत को ड्रॉप कर पुनः उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जावे। जवाब के संलग्न शिकायतकर्ताओं के शपथ बयान पेश किये गये जिसमें राशन सामग्री प्राप्त हो जाने के कथन अंकित हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा इस पर संयुक्त जांच दल गठित कर रिपोर्ट ली गई जिसमें अपीलांट के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान का कुल 345 लीटर केरोसिन, 24 किलोग्राम चीनी एवं 205 किलोग्राम गेहूं का गबन किया जाना पाया गया है जिसका बाजार मूल्य 17920.25 रूपये है। अपीलार्थी द्वारा उक्त फर्जी ट्रान्जेक्शन एवं गबन के संबंध में कोई तथ्यात्मक एवं उचित प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि उपभोक्ताओं से पश्चातवर्ती बयान लिखित करवाये हैं कि उन्हें सामग्री प्राप्त हो गई है। उक्त बयान न तो जांच दल के समक्ष किये गये हैं और न ही विभागीय प्रकरण में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी के समक्ष किये गये हैं ऐसे में उक्त बयानों की प्रामाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है तथा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी उपभोक्ताओं के इन बयानों को मान्य नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध समय पर राशन वितरण नहीं करने, राशन कार्डों में [illegible] गेहूं, चीनी व केरोसिन के ट्रान्जेक्शन पोशन मशीन पर फर्जी तरीके से किये जाने के आरोप लगाये गये हैं। जांच दल द्वारा उक्त आरोपों को प्रमाणित पाया गया है तथा अपीलार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा प्रस्तुत जवाब किसी भी रूप में ठोस एवं तथ्यात्मक नहीं होने से जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की ओर से उक्त अनियमितताऐं साबित मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश प्रस्तुत अपील एवं अभिलेखों के अवलोकन से पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होता है जिसके विरूद्ध यह अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी से नियमानुसार गबन की राशि वसूली हेतु कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:32 IST
Reason: SelfAttested